[2021] 9 एस. सी. आर 351

बैंगलोर विकास प्राधिकरण

वी.

एन. नंजप्पा और अन्य

(सिविल अपील सं। 6996-6997 2021 का)

06 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

अपीलार्थी का बी. डी. ए. यह था कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण उसके द्वारा 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था और पुरस्कार घोषित किया गया था और कब्जा लेने के लिए अधिसूचना भी प्रकाशित की गई थी

अधिग्रहित भूमि को बी. डी. ए. के पक्ष में सौंपने के सत्रह साल बाद, उक्त भूमि के हिस्से के संबंध में पट्टे का समझौता किया गया था।

उत्तरदाता सं। 1 उत्तरदाता सं. के साथ पट्टेदार के रूप में। 2 - उत्तरदाता नं. 1 इसके बाद प्रतिवादी सं. को बाहर निकालने के लिए मुकदमा दायर किया गया। 2 जिसमें बी. डी. ए. को पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया था-मुकदमा तय किया गया और प्राप्त किया गया

अंतिमता-उत्तरदाता सं। 1 (डिक्री धारक) द्वारा निष्पादन याचिका दायर की गई-डिक्री के बारे में जानने के बाद, बी. डी. ए. ने यह घोषणा करने के लिए अलग से मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी नं. 1 और नहीं। 2 अमान्य था और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की

प्रत्यर्थी को रोकने के लिए सं। 1 डिक्री निष्पादित करने से-बी. डी. ए. ने भी यू/Or.XXI आर. में दो आवेदन दायर किए। 97 आर/डब्ल्यू एस। 151 निष्पादन कार्यवाही में उसके द्वारा दायर अलग मुकदमे के निपटारे तक निष्पादन अदालत ने खारिज कर दिया

आवेदन-बी. डी. ए. द्वारा दायर रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईः Or.XXI r के अनुसार। 101 , किसी आवेदन पर कार्यवाही करने वाले पक्षों के बीच संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्न यू/Or.XXI आर। 97 या आर। 99 और के निर्णय के लिए प्रासंगिक

आवेदन को आवेदन से निपटने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए-इसके लिए एक अलग मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है-अपीलार्थी-बी. डी. ए. ने डिक्री धारक द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाही में बाधा/आपत्ति प्रस्तुत की थी

बी. डी. ए. द्वारा अधिग्रहित वाद भूमि के संबंध में निर्णय देनदार-जब बी. डी. ए. ने वाद में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज का दावा किया हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति, इस तरह की बाधा/आपत्ति को निष्पादन अदालत द्वारा आवेदन/बाधा यू/Or.XXI आर पर विचार करते समय निर्णय लेने की आवश्यकता थी। 97 या आर। 99 - बैंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. आदेश XXI नियम 101 सी. पी. सी. के अनुसार, अधिकार, शीर्षक या हित से संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्न

2. यह अपीलार्थी-बीडीए का विशिष्ट मामला है कि विचाराधीन भूमि के अधिग्रहण के अनुसार, बीडीए बन गया है पूर्ण स्वामी और उक्त भूमि बी. डी. ए. में निहित है और बी. डी. ए. द्वारा कब्जा पहले ही ले लिया गया था और भूमि को इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दिया गया था। इसलिए,

निष्पादन कार्यवाही में संलिप्तता और सौंपने के खिलाफ बाधा के लिए बी. डी. ए. द्वारा प्रस्तुत आवेदन

डिक्री धारक के कब्जे पर बी. डी. ए. को निष्पादन कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करके निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता थी। हालांकि, इस मामले में, बी. डी. ए. द्वारा डिक्री धारक और निर्णय देनदार के खिलाफ पट्टा समझौते को अमान्य घोषित करने के लिए दायर एक ठोस मुकदमा लंबित है, चाहे वह आदेश XXI नियम 101 सी. पी. सी. पर विचार कर रहा हो, लेकिन मुकदमे की संपत्ति में बी. डी. ए. के अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्न पर बी. डी. ए. द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता थी। निष्पादन न्यायालय। अपीलार्थी को निष्पादन कार्यवाही में शामिल किए जाने की अनुमति है। निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी-बी. डी. ए. को निष्पादन याचिका में शामिल करे और उसके बाद बी. डी. ए. द्वारा उठाई गई बाधा/आपत्ति पर निर्णय करे, जिसमें आदेश XXI नियम 97 आर/डब्ल्यू नियम 101 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित वाद संपत्ति/भूमि के अधिग्रहण के आधार पर वाद भूमि में बी. डी. ए. द्वारा दावा किए गए अधिकार, स्वामित्व या ब्याज से संबंधित प्रश्न शामिल है। [पैरा 6,7] [357-जी-एच; 358-ए-सी; 358-ई-एफ] बैंगलोर विकास प्राधिकरण v.

एन. नंजप्पा और अन्य

2015 की रिट याचिका Nos.37943-944 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.03.2016 के निर्णय और आदेश से (GM) सीपीसी)।

एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राजेश महाले, संपत आनंद शेट्टी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.03.2016 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

बेंगलुरु में रिट याचिका संख्या। 37943-37944 / 2015 (जी. एम.-सी. पी. सी.), जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है

मूल आवेदक-बैंगलोर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, 'बी. डी. ए.') और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है जिसमें बी. डी. ए. द्वारा निष्पादन मामले संख्या में आदेश XXI नियम 97 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

गेद्दालाहल्ली गाँव के सर्वेक्षण सं. 12/2 में 1 एकड़ 15 गुंटा (विवादित भूमि) वाली उस भूमि का अधिग्रहण बी. डी. ए. द्वारा वर्ष 1977 में बैंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 (इसके बाद '1976 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के तहत किया गया था। 1976 के अधिनियम की धारा 19 के तहत उक्त भूमि के संबंध में एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई। पुरस्कार दिनांक 12.06.1981 के माध्यम से पारित किया गया जिसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया Rs.17,393.75। अपीलार्थी-बी. डी. ए. के अनुसार, अधिग्रहित भूमि का कब्जा सरकार द्वारा दिनांक 16.07.1981 के अनुसार ले लिया गया था और बी. डी. ए. के इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दिया गया था। इसके बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 16 (2) के तहत एक अधिसूचना 01.04.1982 पर जारी की गई, जो अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करने के तथ्य का प्रमाण है। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 17 वर्षों की अवधि के बाद और बी. डी. ए. के पक्ष में विचाराधीन अधिग्रहित भूमि को सौंपने के बाद, प्रतिवादी नं. 1 इसमें एक [2021] 9 एस. सी. आर. में प्रवेश किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी सं. के साथ पट्टा समझौता। 2 इसमें दिनांक 16.08.1999 के पट्टा समझौते के माध्यम से विचाराधीन भूमि के हिस्से के संबंध में। कि उत्तरदाता नं। 1 इसके बाद प्रतिवादी सं. 3797/2000 के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया। 2 यहाँ सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष निष्कासन के लिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मुकदमे में, अपीलार्थी-बी. डी. ए. को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.1 ट्रायल कोर्ट ने 20.03.2008 के फैसले और डिक्री के माध्यम से उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया। हालाँकि, दिनांक 13.06.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दायर नियमित प्रथम अपील संख्या 468/2008 को अनुमति दी।

उत्तरदाता नं। 1 इसमें और परिणामस्वरूप द्वारा दायर किए गए मुकदमे का फैसला किया गया उत्तरदाता नं। 1 यहाँ। प्रतिवादी संख्या 2 ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादी नं. 1 इसमें-डिक्री धारक ने E.P.No होने के कारण निष्पादन याचिका दायर की। 2713/2012। ऐसा लगता है कि आ गया है

अपील को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के बारे में जानने के लिए, अपीलकर्ता-बी. डी. ए. ने सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष ओ. एस. नं. 2070/2013 के रूप में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि प्रतिवादी के बीच पट्टा समझौता नं. 1 इसमें-डिक्री धारक और

उत्तरदाता नं। 2 इसमें-निर्णय देनदार वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में दिनांकित पट्टा के समझौते के अनुसार अमान्य है और प्रतिवादी संख्या को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की गई है। 1 इसमें मूल भूमि स्वामी-ओ. एस. सं. 3797/2000 में पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए डिक्री धारक।

2.2 बी. डी. ए. ने आदेश XXI नियम 97 के तहत दो आवेदन भी दायर किए जिन्हें सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पढ़ा जाता है और उसके द्वारा दायर मुकदमे के निपटारे तक निष्पादन कार्यवाही को स्थगित करने के लिए ओ. एस. सं. 2070/2013। बी. डी. ए. द्वारा दायर उपरोक्त दो आवेदनों को निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के सामान्य आदेश के माध्यम से मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी कि अधिग्रहण के अनुसार, बी. डी. ए. ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था और इसलिए बी. डी. ए. सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन में बाधा या आपत्ति नहीं कर सकता है। 2.3 बी. डी. ए. द्वारा आदेश XXI नियम 97 आर/डब्ल्यू नियम 101 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदनों को खारिज करने वाले निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अवरोधक-बी. डी. ए. ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर कीं जो रिट याचिका संख्या थी। 37943 37944/2015 . विवादित फैसले और आदेश से, उच्च न्यायालय ने बैंगलोर का विकास किया है

उपरोक्त दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान अपीलें अवरोधक-बी. डी. ए. के उदाहरण पर हैं।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-बी. डी. ए. ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि बी. डी. ए. द्वारा निष्पादन याचिका में बी. डी. ए. को अवरोधक के रूप में शामिल करने के लिए दायर आवेदनों को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान निष्पादन न्यायालय दोनों ने आदेश XXI नियम 97 आर/डब्ल्यू नियम 101 सी. पी. सी. को गलत तरीके से पढ़ा और गलत व्याख्या की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है, उस पर बाधा/आपत्ति उठाने के लिए, बाधा डालने वाले को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

अधिकार और यह पर्याप्त है कि अवरोधक उक्त संपत्ति के संबंध में स्वामित्व का दावा करता है। हालांकि वर्तमान मामले में यह बी. डी. ए. का मामला है कि कब्जा सरकार द्वारा बी. डी. ए.-इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दिया गया था।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ऐसी संपत्ति /

विचाराधीन भूमि बी. डी. ए. द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है और यहां तक कि पुरस्कार भी बहुत पहले ही घोषित कर दिया गया था और यहां तक कि बी. डी. ए. के अनुसार भी विचाराधीन भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था और इसे इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दिया गया था और उसके बाद भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 16 (2) के तहत अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसमें सूट भूमि को पूरी तरह से बी. डी. ए. को सौंप दिया गया था और उसके बाद सामूहिक रूप से और/या अवैध रूप से प्रतिवादी नं. 1 इसमें प्रत्यर्थी सं. के साथ पट्टा समझौता किया गया। 2 यहाँ।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी

बी. डी. ए. द्वारा डिक्री धारक और निर्णय देनदार के बीच पट्टे के समझौते को अमान्य घोषित करने के लिए ओ. एस. संख्या <आई. डी. 1 होने के कारण दायर किया गया मूल मुकदमा लंबित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए निष्पादन न्यायालय को बी. डी. ए. द्वारा दायर अभियोग आवेदन को अनुमति देनी चाहिए थी, जो 1976 के अधिनियम के तहत भूमि के अधिग्रहण के आधार पर स्वामित्व का दावा करता है।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश XXI नियम 97 और नियम 101 सी. पी. सी. को एक साथ पढ़ा जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश XXI नियम 101 के अनुसार, आदेश XXI नियम 97 या नियम 99 या उनके प्रतिनिधियों के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्न, और आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक, आवेदनों से निपटने वाले निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि

डिक्री, [2021] 9 एस. सी. आर. के निष्पादन में बाधा/आपत्ति उठाना।

बाधा डालने वाले को अपना अधिकार साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वह वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करता है, तो ऐसे आवेदन में निष्पादक न्यायालय द्वारा इसका निर्धारण, निर्णय और/या निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

3.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए

अपीलें करें।

निष्पादन न्यायालय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिक्री धारक-मूल भूमि मालिक के अनुसार, विचाराधीन भूमि का वास्तविक कब्जा बी. डी. ए. द्वारा नहीं लिया गया है और विचाराधीन भूमि का कब्जा निर्णय देनदार के पास है-प्रतिवादी नं. 2 इसमें, जिसे प्रतिवादी सं. को सौंपना आवश्यक है। 1 इसमें-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार डिक्री धारक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निष्पादन न्यायालय ने आदेश XXI के तहत बीडीए द्वारा दायर आवेदनों को सही ढंग से खारिज कर दिया नियम 97 सी. पी. सी. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि निष्पादन न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि हालांकि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया हो सकता है, जब तक कि बाधा डालने वाले द्वारा कब्जा स्थापित और साबित नहीं किया जाता है, आदेश XXI नियम 97 सी. पी. सी. के तहत ऐसा आवेदन खारिज होने योग्य है और इसे निष्पादन न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा सही पुष्टि की गई है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बी. डी. ए. के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा कर रहा है।

1976 के अधिनियम के प्रावधान। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि डिक्री धारक और निर्णय देनदार के बीच पट्टा समझौता है

सूट भूमि के अधिग्रहण के बाद। इसलिए, अपीलकर्ता-बी. डी. ए. की ओर से यह मामला है कि इस तरह का लेन-देन अमान्य है, जब मुकदमा भूमि जिसके लिए पट्टा समझौता निष्पादित किया गया था, 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा, पुरस्कार भी घोषित किया गया था और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत एक अधिसूचना भी प्रकाशित की गई थी जो बीडीए द्वारा भूमि पर कब्जा करने का सबूत देती है। इसलिए, जब अपीलकर्ता-बी. डी. ए. जिसने भूमि बैंगलोर विकास के संबंध में निर्णय देनदार के खिलाफ डिक्री धारक द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाही में बाधा/आपत्ति प्रस्तुत की है।

जो बी. डी. ए. द्वारा अधिग्रहित किया गया था और जब बी. डी. ए. वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करता है, तो इस तरह की बाधा/आपत्ति पर निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

आदेश XXI नियम 97 या नियम 99 सी. पी. सी. के तहत आवेदन/बाधा। इस स्तर पर, आदेश XXI नियम 97 और आदेश XXI नियम 101 सी. पी. सी. को संदर्भित करने की आवश्यकता है और जो निम्नानुसार हैः

" 97. अचल संपत्ति के कब्जे का प्रतिरोध या बाधा

- (1) जहां अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के धारक या डिक्री के निष्पादन में बेची गई ऐसी किसी संपत्ति के खरीदार का विरोध किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने में बाधा डाली जाती है।

संपत्ति का कब्जा, वह एक आवेदन कर सकता है

इसमें निहित प्रावधानों के साथ। 101. निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न-नियम 97 या नियम के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न (संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित)

99 या उनके प्रतिनिधि, और आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक, आवेदन से निपटने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, न कि एक अलग मुकदमे द्वारा और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय, किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, माना जाएगा

इस तरह के प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र।

इसके लिए अलग से मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश XXI नियम 97 अचल संपत्ति के कब्जे के प्रतिरोध/बाधा के संबंध में है। संपत्ति।

6. तत्काल मामले में, यह अपीलार्थी-बी. डी. ए. का विशिष्ट मामला है कि विचाराधीन भूमि के अधिग्रहण के अनुसार, बी. डी. ए.

पूर्ण स्वामी बन गया है और उक्त भूमि बी. डी. ए. में निहित है और बी. डी. ए. द्वारा कब्जा पहले ही ले लिया गया था और भूमि को इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दिया गया था। इसलिए, आवेदन [2021] 9 एस. सी. आर.

बी. डी. ए. द्वारा निष्पादन कार्यवाही में संलिप्तता के लिए प्रस्तुत किया गया और डिक्री धारक को कब्जा सौंपने के खिलाफ बाधा को निष्पादन अदालत द्वारा निष्पादन कार्यवाही में बी. डी. ए. को एक पक्ष के रूप में शामिल करके निर्णय लेने की आवश्यकता थी। हालांकि, वर्तमान मामले में, बी. डी. ए. द्वारा दायर एक मूल मुकदमा ओ. एस. नंबर 2070/2013 है।

पट्टा समझौते को अमान्य घोषित करने के लिए डिक्री धारक और निर्णय देनदार के खिलाफ लंबित है, चाहे वह कुछ भी हो,

आदेश XXI नियम 101 सी. पी. सी. पर विचार करते हुए, वाद संपत्ति में बी. डी. ए. के अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्न पर निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

6.1 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बी. डी. ए. द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करते हुए निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश

निष्पादन कार्यवाही और/या बाधा आवेदन को खारिज करना, और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश, अस्थिर हैं और वे रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं।

7. तदनुसार, वर्तमान अपील सफल होती हैं। अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1-बी. डी. ए. और निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांक 2-बी. डी. ए. द्वारा अभियोग के साथ-साथ बाधा आवेदन को खारिज करने के लिए दायर आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 1-बी. डी. ए. द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थी को निष्पादन कार्यवाही में शामिल किए जाने की अनुमति है। निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी-बी. डी. ए. को निष्पादन याचिका में शामिल करे और उसके बाद बी. डी. ए. द्वारा उठाई गई बाधा/आपत्ति पर निर्णय करे, जिसमें 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित वाद संपत्ति/भूमि के अधिग्रहण के आधार पर वाद भूमि में बी. डी. ए. द्वारा दावा किए गए अधिकार, स्वामित्व या ब्याज से संबंधित प्रश्न शामिल है।

आदेश XXI नियम 97 आर/डब्ल्यू नियम 101 सी. पी. सी. के तहत। उपरोक्त कार्य इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. तत्काल अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।